

COUNCIL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH
Anusandhan Bhavan, Rafi Marg
New Delhi 110001

No. 30-9(1036)2008-Finance

Dated : 11-11-2008


OFFICE MEMORANDUM

Subject :- Air Travel on official tours - use of corporate coupons and apex fares,
regarding

Ministry of Finance vide OM No.19030/3/2008-E-IV dated 23-9-08 has notified the revised travel entitlement for official tour as recommended by 6th Central Pay Commission. As per the said notification, officers in the Grade Pay of Rs.5400.00 and above are eligible for air travel for official tour, however, no additional funds would be provided on account of the revision of TA/DA. The mileage points earned on purchase of tickets for such official tour shall also accrue to the Government. Further, Ministry of Finance vide OM No.7(1)/E.CORD/2008 has dated 01-10-08 laid down that each Ministry/Department is to evolve internal process to leverage the discounts being provided by Airlines in the form of cheap fares and Corporate Coupons.

Keeping in view the above, it has been decided by the competent authority that officers availing air journey for official tour will, henceforth, use corporate coupons to be made available by CSIR/Labs or apex fare tickets, wherever possible. The officers will ensure that free mileage points earned by them will be used for official travel and not for personal trips. Any other incentives and similar packages such as free companion etc. should be so negotiated by CSIR/Labs. so that the benefits come to CSIR. Cancellation charges payable would be permitted when apex fare tickets are cancelled due to change in tour plan in the best interest of organization. Further, while inviting external members for meetings, they may be requested to avail such discounted fares/coupons.

Henceforth, no reimbursement of full fare air tickets will be done for employees of CSIR excepting inevitable cases which would need the approval of the Director. This may kindly be given vide circulation within the Lab.



(R.L.Sharma)

Sr. Deputy Financial Adviser

Copy to :-

1. Heads of All National Labs./Instts.
2. Shri A.Wahid, Scientist for updating CSIR website
3. DS to DG, CSIR
4. PA to FA, CSIR
5. US to JS(A)
6. COA/AO of all national Labs./Instts.
7. CFA/F&AO of all national Labs./Instts.
8. Sr.Dy.Secretaries/Dy.Secretaries/USs at CSIR Hqrs./Complex
9. Sr.Dy.FAs/Dy.FAs/FAOs at CSIR, Hqrs./Complex
10. All Notice Boards

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
अनुसंधान भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली – 110 001

सं. 30-9(1036)2008-वित्त

दिनांक : 11.11.2008


कार्यालय ज्ञापन

विषय : सरकारी दौरों पर हवाई यात्रा – कॉर्पोरेट कूपनों और एपेक्स किरायों के उपयोग के संबंध में

वित्त मंत्रालय ने दिनांक 23.09.2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 19030/3/2008-ई-IV के माध्यम से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा सरकारी दौरे हेतु संस्तुत संशोधित यात्रा हकदारी को अधिसूचित किया है। उक्त अधिसूचना के अनुसार, 5400.00 रुपये और उससे अधिक ग्रेड वेतन पाने वाले अधिकारी सरकारी दौरे के लिए हवाई यात्रा के पात्र हैं, हालांकि, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते में संशोधन होने के कारण किसी प्रकार की कोई अतिरिक्त निधियां उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी। ऐसे सरकारी दौरे हेतु टिकटों की खरीद पर अर्जित माइलेज पॉइंट भी सरकार को प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्रालय ने दिनांक 01.01.2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 7(1)/ई.कॉर्ड/2008 के द्वारा निर्धारित किया है कि सस्ते किराए और कॉर्पोरेट कूपनों के रूप में एयरलाइनों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही छूट का लाभ उठाने के लिए प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को आंतरिक प्रक्रिया तैयार करनी होगी।

उपर्युक्त के मद्देनजर सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी दौरे के लिए हवाई यात्रा की सुविधा उठाने वाले अधिकारी अब से आगे जहां कहीं संभव हो सीएसआईआर/प्रयोगशालाओं द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले कॉर्पोरेट कूपनों अथवा एपेक्स किराया टिकटों का उपयोग करेंगे। ये अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा अर्जित निःशुल्क माइलेज पॉइंट का उपयोग वे सरकारी दौरे के लिए करेंगे न कि निजी दौरों हेतु। अपने साथ सहयात्री आदि निःशुल्क ले जाने जैसे किन्हीं अन्य प्रोत्साहनों एवं ऐसे ही पैकेजों को सीएसआईआर/प्रयोगशालाओं द्वारा इस प्रकार तय किया जाए ताकि ये लाभ सीएसआईआर को मिलें। देय कैंसलेशन प्रभार की अनुमति तभी दी जाएगी जब संगठन के सर्वोत्कृष्ट हित में दौरा योजना में परिवर्तन के कारण एपेक्स किराया टिकटों को कैंसल कराया गया हो। इसके अतिरिक्त, बाह्य सदस्यों को बैठकों के लिए आमंत्रित करते समय उनसे ऐसे छूट प्राप्त किरायों/कूपनों का लाभ उठाने के लिए अनुरोध किया जाए।

अबसे आगे, ऐसे अपरिहार्य मामलों को छोड़कर, जिनके लिए निदेशक का अनुमोदन आवश्यक होगा, सीएसआईआर के कर्मचारियों को पूरे किराए वाले हवाई टिकटों के किराए की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। कृपया इसे प्रयोगशाला में व्यापक रूप से परिचालित करें।



(आर.एल.शर्मा)

वरिष्ठ उप वित्त सलाहकार

प्रतिलिपि :

1. सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के प्रधान
- ✓ 2. श्री ए. वाहिद, वैज्ञानिक को सीएसआईआर की वेबसाइट अद्यतन करने हेतु
3. महानिदेशक, सीएसआईआर के निजी सचिव
4. वित्त सलाहकार, सीएसआईआर के निजी सहायक
5. संयुक्त सचिव (प्रशासन) कार्यालय में अवर सचिव
6. सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन अधिकारी
7. सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वित्त एवं लेखा नियंत्रक/वित्त एवं लेखाधिकारी
8. सीएसआईआर मुख्यालय/कॉम्प्लेक्स के वरिष्ठ उप सचिव/उप सचिव/अवर सचिव
9. सीएसआईआर मुख्यालय/कॉम्प्लेक्स के वरिष्ठ उप वित्त सलाहकार/उप वित्त सलाहकार/वित्त एवं लेखाधिकारी
10. सभी सूचना पट्ट